

दिनांक 02.05.2021 को थाना मुहम्मदाबाद क्षेत्रार्त्तर्गत हुयी हत्या मामले में हत्यारोपित 03अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्तल (02 चाकू) बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी आज दिनांक 09.05.21 को अतरारी पुलिया के पास से मु0अ0सं0 200/21 धारा 302,307 भादवि में वांछित अभियुक्त रामसिंह यादव पुत्र विजय, शिवबालक उर्फ पिंटू पुत्र विजय यादव व आनंद यादव पुत्र महेन्द्र निवासीगण डगौली थाना मुहम्मदाबाद मऊ के कब्जे से आलाकत्तल (02 चाकू) बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

अवैध देशी शराब बेचते हुये 06 व्यक्ति गिरफ्तार, कब्जे से 207 शीशी अवैध देशी शराबबरामद-

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.05.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुख्यबिर की सूचनान पर कलेक्ट्रेट परिसर के पास से धरमवीर पुत्र स्व0 समशेर, सोनू पुत्र विश्वकांत, जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 समशेर निवासीगण परदहां, राजेश पाण्डेय पुत्र राममूर्ति निवासी भट्टनी थाना खुखंद जनपद देवरिया, रजनीश पुत्र विशेषर निवासी भोजपुर बिहार के कब्जे से 195 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/21 धारा 419,420 भादवि, 60 आबकारी अधि0 व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। साथ ही साथ थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा चकरा बाजार के पास से राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 मुखराम निवासी निवासी चकरा थाना हलधरपुर के कब्जे से 12 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 125/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना कोपांगंज पुलिस द्वारा दिनांक 08.05.21 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुख्यबिर की सूचना पर बलिया मोड़ के पास से मु0अ0सं0 334/20 धारा 419,420, 467,468,406,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ अमन पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी बेलैसा थाना रानी की सरांय जनपद आजमगढ़ व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सरवां के पास से मु0अ0सं0 494/18 धारा 420,467,468,471,411,413,414 भादवि में वांछित अभियुक्त मरगूब पुत्र फैजुलहक निवासी जुम्नपुरा थाना कोपांगंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

